मे0 हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लि0, रेनूकूट, सोनभद्र में 660 केटीपीए से 900 केटीपीए एल्यूमिना रिफाइनरी व 356 केटीपीए से 472 केटीपीए स्मेल्टर प्लांट के विस्तारीकरण व आधुनिकीकरण की परियोजना के स्थापनार्थ दिनांक 24.07.2009 को हिण्डालको प्रेक्षागृह रेनूकूट, सोनभद्र में आयोजित "लोक सुनवाई" की कार्यवाही का विवरण।

सदस्य–सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या–एफ 50611/सी–2/एन0ओ0सी0/3474/09 दिनांक 08–06–2009 के अनुपालन में उपरोक्त उद्योग द्वारा प्रस्तावित 660 केटीपीए से 900 केटीपीए एल्यूमिना रिफाइनरी व 356 केटीपीए से 472 केटीपीए स्मेल्टर प्लांट के विस्तारीकरण व आधुनिकीकरण की परियोजना के स्थापनार्थ दिनांक 24–07–2009 को पूर्वान्ह 11:00 बजे हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लि0, रेनूकूट, सोनभद्र के प्रेक्षागृह में "लोक सुनवाई" आयोजित की गई।

उक्त 'लोक सुनवाई' की आम सूचना दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण, वाराणसी तथा हिन्दुस्तान टाइम्स नई दिल्ली में दिनांक 20–06–2009 को प्रकाशित की गई थी, जिनकी प्रतियाँ संलग्न है (संलग्नक–1)।

'लोक सुनवाई' की अध्यक्षता जिलाधिकारी, सोनभद्र श्री पनधारी यादव द्वारा की गई। 'लोक सुनवाई' में उद्योग के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री आई0जे0 जोशी, क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र श्री कालिका सिंह, प्रशासनिक अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सोनभद्र श्री एस0के0 अवस्थी एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

जनप्रतिनिधियों में प्रमुख रूप से श्री हरीनारायण सिंह,(संवाददाता), श्री राकेश कुमार त्रिपाठी, (सचिव–समन्वय परिवार), श्री रामदेव भारती, (अध्यापक), डा0 शेख कलीम (प्रबन्धक–आल नेचर्स क्लाइमेट इनवायरमेन्टल सोसाइटी), श्री हरिनारायण सिंह, म्योरपुर, (अध्यापक एवं पत्रकार), श्री हरिहर प्रसाद यादव, (दुद्धी ग्रामवासी), श्री अशोक कुमार पटेल, सोनभद्र, श्री राधेश्याम भारती कार्यकर्ता(अपना दल) राबर्टसगंज, श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी(एडवोकेट), श्री अजय राय(अध्यक्ष–व्यापार मण्डल) रेनूकूट, श्री शेख जलालुद्दीन(पत्रकार) आदि मुख्य रूप से उपस्थित थे (सूची संलग्न)।

'लोक सुनवाई' प्रारम्भ करते हुए क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र द्वारा सभी उपस्थित व्यक्तियों का स्वागत करते हुए अवगत कराया गया कि मे0 हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लि0, रेनूकूट, सोनभद्र में 660 केटीपीए से 900 केटीपीए एल्यूमिना रिफाइनरी व 356 केटीपीए से 472 केटीपीए स्मेल्टर प्लांट के विस्तारीकरण व आधुनिकीकरण की परियोजना के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी परियोजना प्रस्तावकों द्वारा प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया।

क्रमशः 2/पर....

श्री एस0 के0 शर्मा(तकनीकी विशेषज्ञ), ने प्रस्तावित क्षमता विस्तार एवं आधुनिकीकरण की परियोजना के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी दी गयी तथा अवगत कराया गया कि अत्याधुनिक तकनीक को दृष्टिगत रखते हुए वर्तमान एल्यूमिना रिफाइनरी एवं स्मेल्टर प्लाण्ट की उत्पादन क्षमता का विस्तारीकरण एवं आधुनिकीकरण किया जा रहा है। प्रस्तावित क्षमता विस्तार व आधुनिकीकरण से स्थानीय लोगों की परोक्ष एवं अपरोक्ष लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। इस प्लाण्ट की स्थापना से उत्पन्न जल एवं वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए 198.5 करोड का व्यय किया जाना प्रस्तावित है। चिमनियों से निकलने वाले धुँए के उत्सर्जन को नियंत्रित करने हेतु ई0एस0पी0 की स्थापना की जायेगी। प्रस्तावित परियोजना हेतु जल की आवश्यकता की पूर्ति वर्तमान में उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र एवं कूलिंग आदि में प्रयुक्त जल को रिसाइक्लिंग कर पूरी की जायेगी तथा पृथक से किसी श्रोत से पानी की आपूर्ति नहीं की जायेगी। इस परियोजना का निर्माण कार्यरत उद्योग के परिसर में किया जायेगा जिसका भू–प्रयोग औद्योगिक है।

तत्पश्चात् क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र ने उपस्थित जन समूह से अनुरोध किया कि वे प्रस्तावित परियोजना के बारे में पर्यावरण संरक्षण से सम्बन्धित अपने सुझाव/टिप्पणी/आपत्ति एवं जानकारी प्रकट कर सकते हैं तथा लिखित रूप से भी दे सकते हैं। निम्नलिखित उपस्थित गणमान्य नागरिकों द्वारा अपना विचार प्रकट किया गया।

1. श्री चौधरी यशवन्त सिंह, (जिलाध्यक्ष–अपना दल, सोनभद्र) एवं श्री शेख कलीम, प्रवन्धक, आल नेचर्स क्लाइमेट इनवायरमेन्टल सोसाइटी, सोनभद्र द्वारा लिखित रूप में पत्र दिये गये जिनकी छाया प्रति संलग्न है।
2. श्री राकेश कुमार त्रिपाठी, नागरिक, रेनूकूट–सोनभद्र– ने कहा कि मे0 हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लि0 का अपशिष्ट एवं कचरा सिनेमा हाल रेनूकूट के पास से निकलने वाले नाले में प्रवाहित किया जाता है जिससे नाला वन्द होने के कगार पर है। मे0 हिण्डालको द्वारा नाले की सफाई करायी जाय तथा नाले में अपशिष्ट एवं कचरे का निस्तारण न किया जाये जिससे पर्यावरण दूषित न हो।
3. श्री रामदेव भारती(अध्यापक), रेनूकूट सोनभद्र ने कहा कि हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लि0 रेनूकूट द्वारा पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र सहित अनेकों गॉव को गोंद लेकर उनके उत्थान के कार्य किये जा रहे हैं जिससे सामाजिक उत्थान एवं अशिक्षा भी दूर हुई है तथा पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ रहा है।

क्रमशः 3/पर.

4. डा0 शेख कलीम, सोनभद्र(प्रवन्धक–आल नेचर्स क्लाइमेट इनवायरमेन्टल सोसाइटी) ने कहा कि मे0 हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लि0 द्वारा वन संरक्षण एव जल संरक्षण के क्षेत्र में अभी और कार्य किया जाना अपेक्षित है। उद्योग द्वारा जिन ग्रामों को गोद लिया गया है उन्हें इको ग्राम के रूप मे विकसित किया जाये तथा पर्यावरण जन जागरूकता के कार्यक्रम आयोजित किये जाये।

5. श्री एच0एन0 सिंह,(अध्यापक एवं पत्रकार) म्योरपुर रेनूकूट–सोनभद्र ने कहा कि मे0 हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लि0 के संचालन के साथ–साथ पर्यावरण संरक्षण के लिये वृक्षारोपड किया जाये जिससे उद्योग संचालन एवं पर्यावरण संरक्षण का संतुलित विकास हो। उद्योग द्वारा शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में और अधिक योगदान किया जाये।

6. श्री हरिहर प्रसाद यादव, नागरिक दुद्धी ब्लाक सोनभद्र ने कहा कि प्रस्तावित मे0 हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लि0 के क्षमता विस्तार एवं आधुनिकीकरण का समर्थन करते हुए वृक्षारोपड एवं भू–जल संरक्षण की आवश्यकता पर बल दिया गया तथा उद्योग प्रवन्धन से इस क्षेत्र में कार्य करने की अपेक्षा की गयी।

7. श्री राधेश्याम भारती(कार्यकर्ता अपना दल), राबर्टसगंज, सोनभद्र ने कहा कि उद्योग में क्षमता विस्तार व आधुनिकीकरण की अनुमति प्रदान न की जाये तथा अपना दल के चौधरी यशवन्त सिंह जिला अध्यक्ष अपना दल सोनभद्र का लिखित आपत्ति पत्र प्रस्तुत किया गया जो संलग्न किया जा रहा है।

8. श्री अशोक कुमार पटेल(अंश) ने कहा कि पूर्व में रेनूकूट प्रभाग के वन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के जीव जन्तु रहते थे जो अब नहीं है अतः इस क्षेत्र में सघन वृक्षारोपड किया जाय तथा एक अभ्यारण्य का विकास किया जाये तथा उद्योग द्वारा जल संरक्षण हेतु कार्यवाही की जाये।

9. श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी(एडवोकेट, राबर्टसगंज, सोनभद्र) ने कहा कि उद्योग की लोकसुनवाई उद्योग द्वारा प्रायोजित प्रतीत होती है तथा इसमें जन सहमति नगण्य सी है। उद्योग द्वारा किये जा रहे जल उपयोग को और कम किया जाये तथा रेन वाटर हार्वेस्टिंग की प्रकिया अपनाई जाये। उद्योग द्वारा जन कल्याणकारी कार्यो के अन्तर्गत उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा हेतु संस्थानों की स्थापना की जाये तथा वृक्षारोपड कराया जाये। पर्यावरण सुरक्षा समितियों का गठन कर जन जागरूकता उत्पन्न की जाये। क्षमता विस्तार में उद्योग द्वारा 70 प्रतिशत स्थानीय जनता को रोजगार प्रदान किया जाये।

10. श्री जे0पी0 सिंह(समाजसेवी), रेनूकूट सोनभद्र ने कहा कि रोजगार का अवसर मिला है। पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करें।

क्रमशः 4/पर.....

11.श्री लल्लन राय, (अध्यक्ष–व्यापार मंडल रेनूकूट) ने कहा कि हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लि0 रेनूकूट द्वारा लोक सुनवाई माइक से प्रचार–प्रसार नहीं किया गया जिससे जनता कम उपस्थित हुई है। लोक सुनवाई उद्योग परिसर में की जा रही है जो उचित नहीं है इसे बाहर आयोजित किया जाना चाहिए था। उद्योग द्वारा स्थानीय रोजगार के अवसर सृजित किये जाये। उद्योग द्वारा पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में किये गये कार्यो का श्वेत पत्र जारी किया जाये। उद्योग के समीप के नाले में कचरा आदि के निस्तारण से मछलियों पर कुप्रभाव पड़ा है। उद्योग से जनित मड से बॉध वन गया है इसको ठीक किया जाय। रेनूकूट की जनता को तकनीकी शिक्षा एवं पेयजल की व्यवस्था की जाये। उद्योग द्वारा पर्यावरण प्रदूषण के क्षेत्र में पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है जिसके कारण आस–पास का पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। सफाई एवं स्वच्छता की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है।

12.श्री अजय राय, अध्यक्ष, रेनुकूट, ब्यापार मण्डल रेनुकूट, सोनभद्र ने कहा कि हिण्डालको इण्डस्ट्रीज द्वारा कई वार विस्तारीकरण किया गया है जिससे पीछे वचे दर्जनों गांव–पाटी, हाड़पाथर, निहायी पाथर आदि गांव के हजारों गांवों का आवागमन बन्द हो गया है जिससे पचासों किलोमीटर का चक्कर लगाकर पिपरी (सोनभद्र) आना पड़ता है। उद्योग के प्रदूषण से काफी लोग प्रभावित होते हैं। स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं दिया जाता है। इनके द्वारा अवैध तरीके से पी0डब्लू0डी0 एवं वन विभाग की सैकड़ों एकड़ जमीन पर कब्जा किया गया है। लोक सुनवाई का कार्यक्रम जिला मुख्यालय या रेनुकूट के किसी सार्वजनिक स्थान पर करते हुए हजारों लोगों के वीच सहमति के आधार पर सम्पन्न करायी जानी चाहिए थी। श्री राय द्वारा लिखित रूप से दिया गया आपत्ति पत्र संलग्न किया जा रहा है।

13.श्री दिनेश कुमार यादव (सामाजिक कार्यकर्ता) ने कहा कि हिण्डालको इण्डस्ट्रीज द्वारा आस–पास के निवासियों के सामाजिक दशा ठीक करने, शिक्षित करने एवं सामाजिक उत्थान के कई कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं। अतः उद्योग को क्षमता विस्तार के लिए अनुमति प्रदान किए जायं।

14.श्री चन्द्रमणि शुक्ला (अध्यापक) ने कहा कि मे0 हिण्डालको इण्डस्ट्रीज द्वारा पर्यावरण के संरक्षण एवं आस–पास के गांवों का शैक्षिक एवं सामाजिक उत्थान किया जा रहा है तथा विभिन्न जन कल्याणकारी कार्य किए जा रहे हैं अतः उद्योग को विस्तारीकरण के लिए अनुमति प्रदान की जाय।

क्रमशः 5/पर.....

15.श्री शेख जलालूद्दीन (पत्रकार, रेनुकूट) ने कहा कि मे0 हिण्डालको इण्डस्ट्रीज द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में काफी कार्य किया जा रहा है। आस–पास के गांवों के निवासियों के सामाजिक, शैक्षिक एवं आर्थिक उत्थान के कार्य किए जा रहे हैं। रेनुकूट में सभी के लिए अस्पताल की स्थापना की गयी है। अनेकों गांवों को गोद लेकर सामाजिक उत्थान का कार्य किया जा रहा है। अतः क्षमता विस्तार की अनुमति प्रदान की जाय।

गणमान्य नागरिकों द्वारा उठाए उपरोक्त विन्दुओं के उत्तर में मे0 हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लि0 रेनुकूट, सोनभद्र के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री आई0जे0 जोशी ने विचार प्रस्तुत करते हुए कहा कि स्थानीय नागरिकों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार देने में निश्चित रूप से प्राथमिकता दी जाएगी। विस्तारीकरण एवं आधुनिकीकरण परियोजना में जल, वायु एवं ध्वनि प्रदूषण के स्तर को निम्नवत् रखने के सारे प्रयास किए जाएंगे, जैसा कि कम्पनी द्वारा प्रस्तुतीकरण में बताया गया है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के नियमों के अनुसार प्रदूषण नियंत्रण हेतु सारी व्यवस्थाएं की जायेगी।

वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु **99.8%** कार्य क्षमता के इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेसिपिटेटर (ई0एस0पी0) संयंत्र लगाने का प्रस्ताव है। कोयला एवं वाक्साइड आदि के भण्डारण, लदाई एवं उतारने के स्थानों पर जल का छिड़काव किया जायेगा, जिससे धूल दब जाय। कणों एवं गैसों (एस0पी0एम0 SO_2, NOX, CO) की आन लाईन मानीटरिंग हेतु यंत्र लगाये जाएंगे। इकाई से निकलने वाली राख को ठीक से संग्रहीत किया जायेगा तथा रेडमड में मिलाकर जमीन में भराई कर वृक्षारोपण किया जायेगा।

प्रस्तावित क्षमता विस्तार में आवश्यक जल का उत्प्रवाह शुद्धीकरण संयंत्र एवं कूलिंग से प्राप्त जल को पुनः उपयोग किया जायेगा जिससे जल का संरक्षण भी होगा और पृथक से ई0टी0पी0 के विस्तार की आवश्यकता नहीं रहेगी। कालोनी और उद्योग से जनित घरेलू उत्प्रवाह को उद्योग में स्थापित एस0टी0पी0 में उपचारित कर निस्तारित किया जाएगा।

'लोक सुनवाई' के अध्यक्षीय संवोधन में श्री पनधारी यादव, जिलाधिकारी, सोनभद्र ने कहा कि पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण के नियमों के अनुकूल प्रदूषण के स्तर को न्यूनतम रखने के सारे उपाय किए जाय। उन्होंने मे0 हिण्डालको इण्डस्ट्रीज के वरिष्ठ उपाध्यक्ष से आग्रह किया कि क्षेत्र के चहुमुखी विकास का विशेष ध्यान रखा जाय।

क्रमशः 6 / पर.....

उपरोक्त विचारों, सुझावों, टिप्पणियों एवं आपत्तियों के अतिरिक्त और कोई मुद्दा 'लोक सुनवाई' के दौरान नहीं उठाया गया। उपस्थित जन समूह ने सर्व सम्मति से इस परियोजना की स्थापना हेतु अपनी सहमति जताई एवं इसके यथाशीघ्र क्रियान्वयन का आग्रह किया।

उपरोक्त मन्तब्य के साथ पर्यावर्णीय दृष्टिकोण से मे0 हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लि0, रेनुकूट, सोनभद्र के प्रस्तावित क्षमता विस्तार व आधुनिकीकरण हेतु सशर्त अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किए जाने के लिए संस्तुति सहित आख्या प्रेषित है।

क्षेत्रीय अधिकारी,
सोनभद्र।

जिलाधिकारी,
सोनभद्र।

क्षे. का. उ. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

... 162, उत्तर मोहाल, राबर्ट्सगंज, सोनभद्र

पर्यावरणीय अधिसूचना दि. 14.09.2006 के अन्तर्गत 'लोक सुनवाई' हेतु आम-सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद-सोनभद्र में मेसर्स हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लि., रेणुकूट, सोनभद्र द्वारा एलुमिना रिफाइनरी व स्मेल्टर प्लान्ट के आधुनिकीकरण व क्षमता वृद्धि क्रमशः 860 KTPA से 900 KTPA व 356 KTPA से 472 KTPA के उत्पादन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। उक्त के संदर्भ में अवगत कराना है कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या- एस. ओ. 1533 दिनांक 14.09.06 के अनुसार अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किए जाने के पूर्व 'लोक सुनवाई' कराया जाना आवश्यक है, एवं इस सूचना के अन्तर्गत क्षेत्रीय आम जनता को किसी भी आपत्ति/सुझाव हेतु 30 दिन का नोटिस दिया जाना आवश्यक है। लोक सुनवाई पैनल की संरचना पर्यावरणीय अधिसूचना संख्या -एस. ओ. 1533, दिनांक 14.09.2006 के अनुरूप होनी है। उक्त उद्योग के प्रस्ताव से संबंधित संक्षिप्त अभिलेख निम्नलिखित कार्यालयों में उपलब्ध है:-

(अ) कार्यालय, उपजिलाधिकारी सोनभद्र।

(ब) महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र, सोनभद्र।

(स) कार्यालय जिला पंचायत, सोनभद्र।

(द) क्षेत्रीय कार्यालय मध्य क्षेत्र, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार, पंचम तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ।

(य) क्षेत्रीय अधिकारी, उ. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र।

(र) उ. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पिकप भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि उक्त परियोजना के पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी प्रकरण के निस्तारण हेतु, प्रस्तावित स्थल पर अर्थात प्रेक्षागृह हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लि. रेणुकूट, सोनभद्र में, दिनांक 24.07.2009 को पूर्वान्ह 11.00 बजे, लोक सुनवाई की कार्यवाही निर्धारित की गयी है, जिसमें उपस्थित होकर अपना सुझाव व आपत्तियाँ प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा सुझाव व आपत्तियाँ लिखित रूप से प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अन्दर दे सकते हैं।

क्षेत्रीय अधिकारी

म. 145/हिण्डालको सो.वि./2009-10, दि. 19.6.09

दैनिक जागरण दिनांक 24/6/09

पृष्ठ सं. 5

हिन्दुस्तान टाइम्स, दिनांक 23.06.09

पर्यावरणीय अधिसूचना दि.14.09.2006 के अन्तर्गत 'लोक सुनवाई' हेतु आम-सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद-सोनभद्र में मेसर्स हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लि., रेनुकूट, सोनभद्र द्वारा एलुमीना रिफाइनरी व स्मेल्टर प्लान्ट के आधुनिकीकरण व क्षमता वृद्धि क्रमशः 660 KTPA से 900 KTPA व 356 KTPA से 472 KTPA के उत्पादन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। उक्त के संदर्भ में अवगत कराना है कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या-एस.ओ. 1533 दिनांक 14.09.06 के अनुसार अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किये जाने के पूर्व 'लोक सुनवाई' कराया जाना आवश्यक है, एवं इस सूचना के अन्तर्गत क्षेत्रीय आम जनता को किसी भी आपत्ति/ सुझाव हेतु 30 दिन का नोटिस दिया जाना आवश्यक है। लोक सुनवाई पैनल की संरचना पर्यावरणीय अधिसूचना संख्या एस.ओ.1533, दिनांक 14.09.2006 के अनुरूप होनी है। उक्त उद्योग के प्रस्ताव से संबंधित संक्षिप्त अभिलेख निम्नलिखित कार्यालयों में उपलब्ध हैः-

(अ) कार्यालय, उपजिलाधिकारी सोनभद्र।
(ब) महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र, सोनभद्र।
(स) कार्यालय जिला पंचायत, सोनभद्र।
(द) क्षेत्रीय कार्यालय मध्य क्षेत्र, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार, पंचम तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच. अलीगंज, लखनऊ।
(य) क्षेत्रीय अधिकारी, उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र।
(र) उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पिकप भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि उक्त परियोजना के पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी प्रकरण के निस्तारण हेतु प्रस्तावित स्थल पर अर्थात् प्रेक्षागृह हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लि., रेनुकूट, सोनभद्र में दिनांक 24.07.2009 को पूर्वान्ह 11.00 बजे लोक सुनवाई की कार्यवाही निर्धारित की गयी है जिसमें उपस्थित होकर अपना सुझाव व आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा सुझाव व आपत्तियां लिखित रूप से प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अन्दर दे सकते हैं।

क्षेत्रीय अधिकारी

सं.- 143/हिण्डा.रेनु.लो.सु./2009-10 दिनांक 19.06.09

मेसर्स हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लि0, रेनुकूट, सोनभद्र द्वारा प्रस्तावित क्षमता विस्तार एवं आधुनिकीकरण प्लाण्ट की स्थापना से पूर्व हिण्डालको सभागार, रेनुकूट, जनपद–सोनभद्र में दिनांक 24 जुलाई, 2009 को "लोक सुनवाई" के दौरान उपस्थित अधिकारियों, पत्रकार बन्धुओं एवं गणमान्य नागरिकों की उपस्थितिः–

क्रमांक	नाम	पदनाम एवं विभाग	हस्ताक्षर
1.	श्री पंधारी यादव	D.M. सोनभद्र	
2.	कालिका सिंह	क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0प्र0नि0बोर्ड सोनभद्र	
3.	श्री एस. के. खरवार	प्रशासनिक अधिकारी उ.प्र. प्रदूषण नि. बोर्ड सोनभद्र	
4.	श्री वी.बी. मिश्रा	सहा. अभि. उ.प्र. प्र. नि. बोर्ड – सोनभद्र	
5.	महेन्द्र, आ0का0	हिन्डा0, रेनुकूट	
6.	Tej Bahadur Mathur	DGM-Pub & Pub Rela	
7.	K.P. Yadav	G.M. Rech'dir	
8.	DR. P. SAHA	Sr. Consultant (Occupational Health)	
9.	DR ANIL SAIN	Chief Med. Officer	
10.	A.K. Yaadav	B. Chief NEWS ...	
11.	S-P Pandey	Office Incharge	
12.	V. K. DUZA	Sr. GM	
13.	Maj Naresh Mama.	Town Adm	
14.	Ajay Joshi	AVP (F&A)	
15.	R.J. Mehrotra	VP	
16.	UTKARSH RAGHUBANSHI	MANAGER	
17.	Ashit Saksena	Asst Manager	
18.	A. P. Pandey	AGM	
19.	Manjrekar Pandey	Asst. Officer Legal	
20.	Shailendra Dubey	Legal Officer	
21.	Vivek Kumar	Asst. Manager – Legal	

क्रमशः 2/पर....

क्रमांक	नाम	पदनाम एवं विभाग	हस्ताक्षर
22.	Sanjay Kumar Rai	S.R. Assit	S.K. Rai
23.	Prabhakar Pandey.		P. Pandey
24.	Vibhav Upadhyay	Manager	Vibhav
25.	H P Gupta	A.G.M	[illegible]
26.	P.K. Singh	Manager.	[illegible]
27.	R.N. Singh	GM.	R N Singh
28.	M.K. Sinha	AGM	[illegible]
29.	Harinarayan Singh	[illegible]/Tech	[illegible]
30.	C. M. Shukla	Manager S.S.N. [illegible]	[illegible]
31.	R.K. Tripathi	[illegible]	[illegible]
32.	Vishwanath Singh	[illegible]	Vis
33.	Bhola Prasad Soni	[illegible] H.T.S.	Bhola Soni
34.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
35.	Mangli Prasad	[illegible]	[illegible]
36.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
37.	Gaurishankar.	Baliyari company	Gauri
38.	विश्वनाथ सिंह	[illegible]	विश्वनाथ
39.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
40.	दिनेश कुमार यादव	[illegible]	दिनेश यादव
41.	[illegible] यादव	[illegible]	[illegible]
42.	M. K. [illegible]	Renukut	[illegible]
43.	M. LAL	[illegible]	M LAL
44.	Sitaram	Renukoot	[illegible]
45.	A R Ansari	Renukut	A R Ansari
46.	Imran Ahmad	[illegible]	[illegible]

क्रमशः 3/पर....

क्रमांक	नाम	पदनाम एवं विभाग	हस्ताक्षर
47.	D. N. Pandey	Asstt. Mgr, Renusagar	[illegible]
48.	V. K. BAJPAI	Dy. Manager	[illegible]
49.	" हिंडालको		हिंडालको
50.	श्याम कुमार गौतम	प्रबन्धक [illegible]	[illegible]
51.	H. Rahman	L. Lal	[illegible]
52.	Anil Kr Singh	Transport	[illegible]
53.	A. K. Sharma	[illegible] Colony	[illegible]
54.	V S Khatri	Security	[illegible]
55.	सुरेश कुमार सिंह	[illegible]	[illegible]
56.	D. H. Singh	[illegible]	[illegible]
57.	M. C. Shukla	Town Adm.	[illegible]
58.	Rama Shankar Singh	T. A office.	[illegible]
59.	Bhawan Singh	T. A. office	B. Singh
60.	Lal Baboo Bharati	Manager S.G.V. School	[illegible]
61.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
62.	Rajesh Singh	Rural Development	[illegible]
63.	P. K. Soni	" "	[illegible]
64.	Yashwant [illegible]	"	[illegible]
65.	शिवपूजन	ग्रामीण	[illegible]
66 –	Anil Singh	Employee	[illegible]
67.	Ashok Kumar Singh	Employee	[illegible]
68.	Mitesh Kumar	MYERpur	[illegible]
69.	[illegible]	Kundandih	[illegible]

क्रमशः 4 / पर....

क्रमांक	नाम	पदनाम एवं विभाग	हस्ताक्षर
70.	जी० पी० सिंह	नेपारपुर (ग्राम वासी)	[illegible]
71.	हरि हर प्रसाद यादव	[illegible] ग्रामवासी	[illegible]
72.	[illegible]	[illegible] - [illegible]	[illegible]
73.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
74.	V.K. Mishva	[illegible]	[illegible]
75.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
76.	Rana Pratap Singh	I. T.	[illegible]
77.	[illegible]	R.W.I.	[illegible]
78.	[illegible] सिंह	[illegible]	[illegible]
79.	[illegible]	—	[illegible]
80.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
81.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
82.	[illegible]	J.T.	[illegible]
83.	श्री रवि कुमार	[illegible]	[illegible]
84.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
85.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
86.	Sheikh Kalim A NCEnvt.	[illegible]	[illegible]
87.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
88.	Rajeet Kumar	MA OPPCB Sakaha	[illegible] 24709
89.	J. JOSHI	[illegible] V.P. Legd	[illegible]
90.	Sunil Kumar yadav	[illegible] T/C Panch department	[illegible]
91.	B. Chaudhry	D.E.O. U.P.P.C.B. S[illegible]	[illegible]
92.			